

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से अवैध 04 बोतल रोयल स्टैग, 02 अर्धे/04 पक्वा McDowell अंग्रेजी शराब व 10 बीयर दिल्ली मार्का तथा तस्करी में प्रयुक्त एक मो0सा0 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध 04 बोतल रोयल स्टैग, 02 अर्धे/04 पक्वा McDowell अंग्रेजी शराब व 10 बीयर दिल्ली मार्का तथा तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल हीरो HF डिलक्स बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अरविन्द पुत्र बाबूराम निवासी इब्राहिमपुर माजरा थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 4 बोतल रोयल स्टैग अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का ।
- 2 अर्धे McDowell अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का ।
- 4 पक्वा McDowell अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का ।
- 10 बीयर दिल्ली मार्का ।
- तस्करी में प्रयुक्त एक मो0सा0 हीरो HF डिलक्स नं0 UP17S 2467

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-आबकारी निरीक्षक श्री दिनेन्द्र कुमार सिंह क्षेत्र 2 बागपत ।
- 2-मु0आ0 आबकारी धीरेन्द्र सिंह, आबकारी टीम बागपत ।
- 3-है0का0 399 वीरपाल कोतवाली बागपत ।
- 4-का0 511 धर्मेन्द्र सिंह कोतवाली बागपत ।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 19.06.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिससे उसकी स्कूटी, मोबाइल फोन व 4,500 रुपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.06.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर सूचना कर्ता उमेश बंसल पुत्र स्व0 पवन सिंह बंसल निवासी दिल्ली रोड कस्बा बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 18/19-06-2022 की रात्रि में उसकी स्कूटी नम्बर- DL-5SBL-1116, एक मोबाइल फोन व 70 हजार रुपये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लूट लिये गये हैं। शिकायतकर्ता से पूछताछ कर जांच की गई व घटनास्थल के आसपास लगे CCTV चैक किये गये व सर्विलांस आदि की मदद व जांच से उसकी स्कूटी, मोबाइल फोन व जेब में ही रखे 4,500 रुपये मिले हैं।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा लूट की झूठी सूचना देने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिससे उसकी स्कूटी, मोबाइल फोन व 4500 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर शिकायतकर्ता अभियुक्त के विरुद्ध धारा 151/107/116 CRPC की कार्यवाही कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार शिकायतकर्ता ने पूछताछ पर बताया कि मेरे उपर 4-5 लाख रुपये का कर्ज है, मैं मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान हूँ इसी के चलते यह मैंने झूठी सूचना पुलिस को दी थी।

बरामदगी का विवरण-

- एक स्कूटी नम्बर- DL-5SBL-1116
- एक मोबाइल फोन।
- 4,500 रुपये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. उमेश बंसल पुत्र स्व0 पवन सिंह बंसल निवासी दिल्ली रोड आशीर्वाद मैरिज होम के पास थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विकास चौहान।
2. का0 647 प्रवीण भाटी।

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 96 पच्चा अवैध अंग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 96 पच्चा अवैध अंग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का बरामद हुई है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-शलमान पुत्र रिजवान निवासी पट्टी धनकोशिया कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 96 पच्चा अंग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 देवेन्द्र कुमार थाना छपरौली ।
- 2- का0115 पवन नागर थाना छपरौली ।

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 149/22 धारा 354/376/511 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 149/22 धारा 354/376/511 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- साहिब पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम खिवाई थाना सररपुर जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नत्थुलाल ।
- 2-है0का0 197 अनिल कुमार ।

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-सागर पुत्र कुसुम पाल निवासी काशीराम कालोनी नानू रोड़ थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विकुल कुमार
2. का0 447 पंकज कुमार ।

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 243/2022 धारा 147/148/324/354ख/308 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 243/2022 धारा 147/148/324/354ख/308 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. फिरोज पुत्र शरीफ उर्फ सिराजु निवासी मौहल्ला कर्बला कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मंजीत सिंह ।
2. का0 217 राधेश्याम ।



थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 208/22 धारा 452/354/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 208/22 धारा 452/354/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-हनी पुत्र कोमल निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री महेन्द्र सिंह ।
- 2-का0 897 शीलेश कुमार ।

